



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 67 राँची, सोमवार, 16 माघ, 1945 (श०)
5 फरवरी, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

3 नवम्बर, 2023

संख्या-5/आरोप-1-38/2022-24830 (HRMS)--श्री महेन्द्र माँझी, झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक-448/20, द्वितीय 'सीमित' बैच), तत्कालीन अंचल अधिकारी, बोरियो के विरुद्ध उपायुक्त, साहेबगंज के पत्रांक-253/स्था०, दिनांक 21.07.2022 द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित है-

1. साहेबगंज जिलान्तर्गत अंचल- बोरियो के मौजा सोतीचैकी, खुटहरी अन्तर्गत औद्योगिक-सह-उपस्कर पार्क की निर्माण हेतु भू-अर्जित किये जाने वाले भूमि जो जमाबंदी नं०-63 अन्तर्गत बिना ग्राम सभा एवं गहन जाँच किये बिना रैयतों की वंशावली की सत्यता की जाँच किये बिना ही मुआवजा के भुगतान हेतु वंशावली को अग्रसारित किया गया है।

2. मौजा-सोतीचैकी, खुटहरी अन्तर्गत किये जा रहे भू-अर्जन के विरुद्ध पंचाटी व्यक्तियों को मुआवजा राशि के भुगतान हेतु उपलब्ध कराये जा रहे वंशावली को अनुमोदनोपरांत हस्ताक्षर न करके Forwarding के माध्यम से उपलब्ध आदेश देने के बावजूद भी कराया गया है।

राजस्व विभागीय संकल्प सं०-38/रा०, दिनांक 10.07.2018 में निदेश है कि मृतक पंचाटी के उत्तराधिकारी को भू-अर्जन के अन्तर्गत मुआवजा के भुगतानार्थ उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र तथा मृतक पंचाटी के वास्तविक उत्तराधिकारी के संबंध में जाँच कर लेने तथा संतुष्ट होने की स्थिति में मुआवजा वंशावली का भुगतान किया जायेगा। लेकिन एक जमाबंदी अन्तर्गत दो तरह का वंशावली उपलब्ध कराये जाने के कारण भ्रामक स्थिति में भुगतान नहीं होना इनके आचरण को प्रदर्शित करता है।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-5172, दिनांक 16.08.2022 द्वारा श्री माँझी से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इसके अनुपालन में श्री माँझी के पत्र, दिनांक 06.9.2022 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया तथा इनके स्पष्टीकरण उपायुक्त, साहेबगंज के पत्रांक-218/स्था०, दिनांक 08.05.2023 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया है।

श्री माँझी के विरुद्ध आरोप पत्र में गठित आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, साहेबगंज से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत इनके विरुद्ध असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड प्रस्तावित करते हुए विभागीय पत्रांक-3580, दिनांक 23.06.2023 द्वारा श्री माँझी से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी है।

श्री माँझी के पत्र, दिनांक 14.08.2023 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया है, जिसमें निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख किया गया-

(i) विभागीय प्रावधान के अनुसार ग्राम सभा की अनुशंसा ही अनुमान्य है, किन्तु ग्राम सभा में मातृ पक्ष के रैयतों को गुप्त रख लिया जाता है। वरीय पदाधिकारी के निदेशानुसार शीघ्र वंशावली समर्पित करने के दबाव के कारण छुटने की संभावना रह जाती है। दुबारा ग्राम सभा वरीय पदाधिकारी के आदेश के आलोक में ही की गयी तथा प्रकाशित तथ्यों को लेखापित कर समर्पित किया गया है। संशोधित समर्पित वंशावली में केवल जीवित रैयत के आगामी पीढ़ी को दर्शाया गया है। इसका उद्देश्य एवार्ड की राशि का विवाद रहित, शांतिपूर्ण भुगतान है, जिससे कि परियोजना कार्य शीघ्र प्रारंभ हो सके। वंशावली में भिन्नता विचारणीय तथ्य नहीं है। इस कृत्य में किसी प्रकार का साजिश मंशा या लापरवाही कर विलम्ब नहीं किया गया है।

(ii) अंचल कार्यालय को परिपत्र संग्रह उपलब्ध नहीं कराया गया है, किन्तु अन्य स्रोत से उनको उक्त तथ्य की जानकारी थी तथा 50 लाख से कम मुआवजा से संबंधित प्रधानजोत सहित कुल 53 वंशावली में 47 वंशावली को अनुशंसा कर अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजी जा चुकी है। हमेशा तत्परता एवं कर्तव्यनिष्ठा से उत्तरदायित्व का निर्वहन किया जाता रहा है। स्वास्थ्य संबंधी कारणों से अद्यतन अवकाश पर रहना मजबूरी है। उनके परिवारजन भी मानसिक अवसाद एवं तनावग्रस्त हैं। उनलोगों की तबियत भी खराब रही है। सभी आवेदनों पर इनका ही हस्ताक्षर है, स्वीकार करता हूँ। यदि उपायुक्त को आलोच्य अवधि में किसी प्रकार का उनके हस्ताक्षर के विषय में संशय था तो किसी भी माध्यम से संसूचित नहीं किया गया है। उनके द्वारा कोई स्वेच्छाचारिता नहीं की गयी है बल्कि झारखण्ड सेवा संहिता के अनुसार अनुमान्य अवकाश का उपयोग करना उनकी मजबूरी है।

(iii) सम्प्रति प्रभारी अंचल अधिकारी, बोरियो ने अपने पत्रांक-453/रा०, दिनांक 04.08.2022 द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज को दिये जाँच प्रतिवेदन में भी स्पष्ट किया गया है कि जमाबंदी नं०-63 के भुगतान से संबंधित उपायुक्त को दिये आवेदन का शिकायतकर्ता श्रीमती विमला देवी, पिता-स्व० दरवारी यादव, पति-श्री रामधनी यादव, साकिन- जमनी फाटक, सकरीगली, थाना-तालझारी, जिला-साहेबगंज ने अपने आपत्ति आवेदन देकर वापस ले लिया गया है। श्रीमती विमला देवी द्वारा समर्पित आवेदन में सभी प्रसंगाधीन कार्रवाई की गयी थी ।

(iv) तत्कालीन जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज द्वारा अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर तथा अंचल कार्यालय, बोरियो में स्वयं उपस्थित होकर दिशा-निर्देश देते थे, जिसका अनुपालन उनके द्वारा किया जाता रहा। इस मामले में ग्राम सभा के साथ-साथ विधिवत् अवसर देते हुए उनके द्वारा सुनवाई की गयी। तदुपरांत किसी आपत्तिकर्ता के माध्यम से साक्ष्य सहित उपस्थित नहीं होने की स्थिति में निर्णय सम्यक् रूप से लिया गया है। केवल वरीय पदाधिकारी यथा-जिला भू-अर्जन पदाधिकारी तथा उपायुक्त के लिखित अथवा मौखिक आदेश का अनुपालन ससमय किया गया है। दिनांक 13.02.2022 से स्वास्थ्य कारणों से मुख्यालय से बाहर रहे हैं, जिसकी सूचना उपायुक्त, साहेबगंज को दी गई है ।

श्री माँझी के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका स्पष्टीकरण, उपायुक्त, साहेबगंज से प्राप्त मंतव्य एवं द्वितीय कारण पृच्छा में समर्पित तथ्यों की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि श्री माँझी द्वारा समर्पित द्वितीय स्पष्टीकरण में किसी प्रकार का कोई नया तथ्य समर्पित नहीं किया गया है ।

आरोप सं०-01 पर श्री माँझी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के आलोक में उपायुक्त, साहेबगंज द्वारा मंतव्य दिया गया है कि एक जवाबदेह राजस्व पदाधिकारी के रूप में उक्त कृत्य श्री माँझी के निर्धारित कार्य दायित्व के विरुद्ध है। श्री माँझी के उक्त लापरवाही एवं गलती के कारण भू-अर्जन प्रभावित रैयतों का मुआवजा भुगतान लम्बित है, इससे जिला प्रशासन की छवि धूमिल हुई है। स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है ।

आरोप सं०-02 पर श्री माँझी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के आलोक में उपायुक्त, साहेबगंज द्वारा मंतव्य दिया गया है कि श्री माँझी द्वारा विभागीय संकल्प की प्रति उपलब्ध नहीं कराये जाने का कथन विचारण योग्य नहीं है, क्योंकि राजस्व विभाग द्वारा निर्गत सभी आदेशों /परिपत्रों आदि का Compendium सभी अंचल कार्यालय में उपलब्ध करा दिया गया है। उक्त संकल्प के अनुसार अंचल अधिकारी, बोरियो को मुआवजा भुगतान हेतु अनुशंसित करना था जो इनके द्वारा नहीं किया गया, जिस कारण परियोजना में अनावश्यक विलम्ब हुआ, जो स्वीकार योग्य नहीं है। साथ ही यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि श्री माँझी आरोप गठन की अवधि तक मुख्यालय से बाहर है, जो उनके स्वेच्छाचारिता व कर्तव्य के प्रति उदासीनता को प्रदर्शित करता है ।

उपायुक्त, साहेबगंज द्वारा गठित आरोप एवं उनके द्वारा समर्पित मंतव्य से स्पष्ट है कि श्री माँझी द्वारा उपलब्ध कराये गये वंशावली के आधार पर आरोप गठन की तिथि तक मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया है। यह तथ्य भी सत्यापित है कि भू-मुआवजा भुगतान हेतु

प्रश्नगत वंशावली बनाने में श्री मांझी द्वारा विलंब किया गया है। इसी तरह मृतक पंचाटी के 50 लाख रुपये से कम राशि के भू-मुआवजा वितरण के उद्देश्य से उत्तराधिकार/ भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र निर्गत करने में भी लापरवाही बरती गई है। फलस्वरूप मुआवजा भुगतान में विलंब हुआ है।

अतः समीक्षोपरांत, श्री महेन्द्र माँझी, झांप्र०से० (कोटि क्रमांक- 448/20, द्वितीय 'सीमित' बैच), तत्कालीन अंचल अधिकारी, बोरियो, साहेबगंज द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकार करते हुए उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के लघु शास्ति के अन्तर्गत असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री महेन्द्र माँझी, झांप्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	MAHENDRA MANJHI JHK/JAS/248	श्री महेन्द्र माँझी, झांप्र०से० (कोटि क्रमांक- 448/20, द्वितीय 'सीमित' बैच), तत्कालीन अंचल अधिकारी, बोरियो, साहेबगंज के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के लघु शास्ति के अन्तर्गत असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या: BHR/BAS/3601
